न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः- 51 /अ-59/2017-18/ 5856 बैतूल दिनांक 26 / 4/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत कुम्हारटेक जनपद पंचायत बैतूल तहसील बैतूल द्वारा, मौजा राठीपुर तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 71 रकबा 6.406 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.200 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है ।

2- ग्राम पंचायत कुम्हारटेक के उक्त प्रस्ताव के आधार पर तहसीलदार बैतूल द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा राठीपुर तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 71 रकबा 6.406 हेक्टेयर मद घाँस मे से 0.202 हेक्टेयर की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 10-2-2018 को आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक- 05 पारित किया जाकर मौजा राठीपुर तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 71 रकबा 6.406 हेक्टेयर में से 0.200 हेक्टेयर को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है ।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा राठीपुर तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 71 रकबा 6.406 हेक्टेयर भूमि शासकीय दर्ज है, अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 के अनुसार खसरा नंबर 71 रकबा 6.406 हेक्टेयर भूमि घाँस मद में दर्ज है।

(4)- प्रकरण में अंकित तहसीलदार बैतूल के प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम राठीपुर का मकबूजा रकबा 309.834 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 21.752 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से ग्राम में चरनोई का न्यूनतम रकबा 06.196 हेक्टेयर उपलब्ध होना अनिवार्य है। ग्राम में उपलब्ध चरनोई के रकबे में से 0.200 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के उपरांत भी चरनोई का न्यूनतम रक्षित रकबा प्रभावित नहीं होगा।

(5)- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर तहसीलदार बैतूल /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल द्वारा मौजा राठीपुर तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 71 रकबा 6.406 हेक्टेयर मद घाँस को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (3) के अनुसार चारागाह, घाँस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यपवर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक- /2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः- 2489 दिनांक 25-2-2017

द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तहसीलदार बैतूल /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा राठीपुर तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 71 रकबा 6.406 हेक्टेयर मद चरनोई मे से 0.200 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 51 /अ-59/2017-18/ 5256 बैतूल दिनांक 26/4/2018

प्रतिलिपि:-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।

2- तहसीलदार बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।

4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

5- सचिव ग्राम पंचायत कुम्हारटेक जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.